रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2014/पौष 20,1935
No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2014/PAUSHA 20, 1935

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 12 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग कर सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क विभाग में कर सहायक (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग, सहायक कर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

विशेष उपबंध :- (1) जब तक अन्यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निदेश न दिया जाए प्रत्येक आयुक्तालय का अपना पृथक काडर होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए आयुक्तालय पर अधिकारिता रखने वाला मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है और ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, यथास्थिति, आयुक्तालय या निदेशालय में उसी या तुल्य पदों किन्तु जो, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन किसी अन्य आयुक्तालय या निदेशालय के काडर के हैं, धारण करने व्यक्तियों के आमेलन द्वारा भरे जाने वाले किसी पद का आदेश कर सकेगा।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कर सहायक	5432* (2014) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या समतुल्य (ii) कम्प्यूटर अनुप्रयोग के उपयोग का आधारिक ज्ञान होना चाहिए। (iii) आकंड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए कम से कम प्रति घंटा 8000 कुंजी दाब की गति होनी चाहिए। **टिप्पण** :- आंकडा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा 8000 कुंजी दाब की गति इलैक्ट्रोनिक आंकडा प्रसस्करण मशीन पर गति परीक्षण संचालन करके आंका जाना है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	**(i)** 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और **(ii)** 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और हैडहवलदार जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो पर विचार किया जाएगा और जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है, अर्थात:- (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ख) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घन्टा 8000 कुंजी दाब की आंकड़ा प्रविष्टि गति और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण 1** :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : **(I)** एकल आयुक्तालय अर्थात् जिसका कोई सामान्य काडर न हो; **(i)** ज्येष्ठतम अपर आयुक्त, मुख्यालय – अध्यक्ष **(ii)** अपर या संयुक्त आयुक्त जिसके न हो सकने पर कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त जो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध हो - सदस्य **(iii)** अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क – सदस्य **(iv)** आयकर उपायुक्त या सहायक आयुक्त – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण : जहां ऊपर क्र.सं. **(i)** से **(iv)** पर वर्णित सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का एक समूह 'क' अधिकारी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में भी सहयोजित होगा।	
(II) संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या अधिक आयुक्तालय जिनका सामान्य काडर हो;	
(i) प्रत्येक आयुक्तालय से ज्येष्ठतम अपर आयुक्त (उनमें से ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा)	
(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय काडर नियंत्रण आयुक्तालय जिसके न हो सकने पर कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) जो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध हो – सदस्य	
(iii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क –सदस्य	
(iv) आयकर उपायुक्त या सहायक आयुक्त – सदस्य	
टिप्पण : जहां ऊपर क्र. सं. **(i)** से **(iv)** पर वर्णित सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का एक समूह 'क' अधिकारी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में भी सहयोजित होगा।	

[फा.सं. ए – 12018/04/2013 – प्रशा. -3 (बी)]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2014

G. S. R. 12(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Central Excise and Customs Department Tax Assistant (Group C post) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tax Assistant (Group C post) in the Central Excise and Customs Department under the control of the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue in the Ministry of Finance, namely:

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called Central Excise and Customs Department Tax Assistant, (Group C post) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**– The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Special Provision**: (1) Each Commissionerate shall have its own separate cadre, unless other-wise directed by the Central Board of Excise and Customs,

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Chief Commissioner of Central Excise or Chief Commissioner of Customs having jurisdiction over the concerned Commissionerate may, if he considers to be necessary or expedient in the public interest so to do and subject to such condition as he may specify having regard to the circumstances of the case and for the reasons to be recorded in writing, orders any post in the Commissionerate or

Directorate as the case may be, to be filled by absorption of persons holding the same or comparable posts but belonging to the cadre of another Commissionerate or Directorate or any other office under Central Board of Excise and Customs, as the case may be.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limits, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tax Assistant.	5432* (2014) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 2400.	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Sipti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep)

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Degrees of a recognised University or equivalent. (ii) Should have basic knowledge in the use of computer applications. (iii) Should possess a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work. Note: The Speed of 8000 key depressions per hour for data entry work is to be judged by conducting a speed test on the electronic data processing machine.	Not applicable.	Two Years for direct recruits.	(i) 90 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; and (ii) 10 per cent by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades form which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: From the Lower Division Clerks who have rendered eight years of regular service in the Grade failing which **eight years** of combined regular service in the Grade of Lower Division Clerk and Head Havaldar shall be taken into consideration and should possess the following educational qualification and experience namely: (a) 12th class or equivalent from a recognised Board or University; (b) Data Entry Speed of 8000 key depression per hour for data entry work and passed the Departmental examination with typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. **Note 1**: Where juniors who have completed this qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two	Group 'C' Departmental Promotion Committee: (I) Single Commissionerate or Directorate namely having no common cadre (i) The senior most Additional Commissioner or Director at Headquarters Office – Chairman (ii) The Additional or Joint Commissioner or Director, Headquarters, failing which any other senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner or Director (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member (iii) Additional Commissioner or Director of Central Excise or Customs – Member (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-Tax – Member **Note:** Where none of the member at serial No. (i) to (iv) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee. (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre:	Not applicable.

years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission.	(i) The Senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the senior most officer among them would be the Chairman. (ii) The Additional Commissioner or Joint Commissioner Headquarters of the cadre controlling Commissionerates, failing which any other senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member (iii) Additional Commissioner or Joint Commissioner of Central Excise and Customs – Member (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax – Member **Note**: Where none of the member at serial No. (i) to (iv) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a Member of the Departmental Promotion Committee.	

[F.No. A-12018/04/2013-Ad. III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937
No. 570] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 710(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग कर सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग कर सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क कर सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची के स्तंभ (11) में "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन "हैड हवलदार" शब्दों के स्थान पर, "हवलदार" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/04/2013-प्रशा. 3 ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 12(अ) तारीख 10 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the [illegible]5th September, 2015

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Excise and Customs Department Tax Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department, Tax Assistant (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Excise and Customs Department Tax Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2014, in column 11, under the heading "Promotion", for the words "Head Havaldar", the word "Havaldar" shall be substituted.

[F. No. A-12018/01/2013-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. [illegible](E), dated the 16th January 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.